संख्या– 269 / 16–नि0अनु0 / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य योजना आयोग /
नियोजन निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग। देहरादूनः दिनांकः 06 अगस्त, 2003

विषयः– वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक संख्या–3451–के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–88 / नि0अनु0 / बजट–16 / नि0 वि0 / 2003 दिनांक 2 अप्रैल, 2003 एवं शासनादेश संख्या–236 / 16–नि0अनु0 / 2003 दिनांक 15 जुलाई, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना आयोग / नियोजन अधिष्ठान की अबचनबद्ध मदों हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत संलग्न विवरण में उल्लिखित मानक मदों के सम्मुख अंकित रूपये 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृति धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।

5– फर्नीचर/उपकरण का क्रय पद धारक/कार्यालय की अनुमन्यता के अनुसार ही डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर अथवा टेंण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

6– कम्प्यूटर का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 की संस्तुति के उपरान्त ही किया जायेगा।

7– संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

8– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जाकारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक:–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–03–नियोजन अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–902/वि0अनु0/2003 दिनांक 01 अगस्त, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 269(1)/16–नि0अनु0/2003,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

C:\Negi\Dugde\03-04

शासनादेश संख्या– 269 / 16–नि0अनु0 / 2003 दिनांक: 06 अगस्त, 2003 का संलग्नक।

	(धनराशि हजार रूपये में) आयोजनेत्तर
3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें 092–अन्य कार्यालय 03–नियोजन अधिष्ठान	
12–कार्यालय फर्नीचर / उपकरण	1000
18– प्रकाशन	300
22–आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि	100
26–मशीनों और सज्जा / उपकरण और संयन्त्र	1000
42–अन्य व्यय	100
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर क्रय	500
योग– (रूपये तीस लाख मात्र)	3000

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

C:\Negi\Bugdet03-04